न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 65/2016

अपीलान्ट्स

1.पपाराम पुत्र कालूराम
2.बंशाराम पुत्र कालूराम
3.रावलराम पुत्र कालूरा
4.जसाराम पुत्र कालूराम
5.गोबरराम पुत्र भेराराम
6.गोरखाराम पुत्र पाबूराम समस्त जातियान भील निवासीगण– प्रतापगढ़ तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स

1.ओमाराम पुत्र राणाराम
2.नहराराम पुत्र राणाराम
3.धनाराम पुत्र राणाराम
4.बाघाराम पुत्र राणाराम
5.मनोहरराम पुत्र राणाराम
6.सवाई पुत्र राणाराम
7.श्रीमति लाछो पत्नि राणाराम
8.देवाराम पुत्र सोनाराम
9.अमोलक राम पुत्र सोनाराम
10.भेराराम पुत्र नेनाराम
11.ढेबाराम पुत्र देवाराम समस्त जातियान भील निवासीगण– प्रतापगढ़ तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
12.भूमिधारी जरिये तहसीलदार शेरगढ़

प्रथम भू राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम खिलाफ आदेश तहसीलदार शेरगढ़ जिला जोधपुर नामान्तकरण संख्या 743 जो दिनांक 03.02.1983 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री भूपत सिंह जोधा उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट 10 व 11 की ओर से श्री ओ.पी. सोनी उपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांक : 29.01.2018

यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 743 जो दिनांक 03.02.1983 ग्राम सेतरावा का जो तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया है के प्रस्तुत की गयी है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण को पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये

बिना अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया है इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जो विधिक तौर पर तामिल होना पाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 की ओर से अभिभाषक श्री ओ.पी. सोनी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में ग्राम सेतरावा की नामान्तकरण संख्या 743 जो तहसीलदार भू.अभिलेख शेरगढ़ के पत्रांक संख्या 1773 दिनांक 25.07.2017 को प्राप्त किया गया। इस प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 09.01.2018 को सुनी जाकर निर्णय हेतु दिनांक 16.01.2018 रखी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री भूपत सिंह जोधा ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित से करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया न ही कोई नोटिस दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पिता को बतौर खातेदार के रूप में नाम इन्द्राज था। ऐसी सूरत में उन्हें नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक था जो नहीं दिया गया। अधीनस्थ्या न्यायालय के समक्ष कोई वंशावली पेश नहीं हुई और न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश हुआ। इसके बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है।

अपीलार्थी ने अपने अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण अनपढ़ व्यक्ति है तथा उनके पूर्वज सभी अनपढ़ व्यक्ति थे। प्रार्थीगण को मामले हाजा की जानकारी दिनांक 1.08.2016 को हुई जब प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के न्यायालय से राजस्व वाद के नोटिस प्राप्त होने से हुई जबकि प्रार्थीगण को मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मूलाराम नाम का कोई व्यक्ति उदाराम का पुत्र नहीं था। गलत आधारों पर उक्त व्यक्ति का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गया है। इसकी जानकारी प्राप्त होने पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 के विद्वान अभिभाषक श्री ओ.पी. राठी ने मौखिक/लिखित बहस प्रारम्भ करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त अनवान मुकदमे की जो अपील न्यायालय हाजा में पेश की है वो करीब 33 साल बाद पेश की है। अतः अपील मियाद बाहर होने से काबिल खारिज है। उपरोक्त अपील में किसी प्रकार का अपील में ग्राम का नाम नहीं बताया गया। उपरोक्त जमीन कहॉ आई हुई है वो भी नहीं बताया गया, इसलिए अपील प्रारंभिक स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में खसरा नं व रकबा का भी अंकन नहीं किया और न ही कोई कारण बताया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा 33–34 वर्षो बाद अपील पेश की है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में उपरोक्त अपील छपी छपाई

परफोर्मा है। जिसमें हाथ से लिखा गया है तथा नोटिस की जानकारी होना बताते है लेकिन नोटिस रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः मियाद के बिन्दू पर ही अपील निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त अनवान मुकदमे संबंधी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 का इस संबंध में खसरा नं, रकबा बीघा संबंधी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ में भेराराम उर्फ लूणाराम वगैरा बनाम गोरखाराम का मुकदमा चल रहा है। अतः अपीलान्ट को चाहिए कि व अपने हक संबंधी साक्ष्य सबूत से उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ में विचाराधीन प्रकरण में अपना हक व हिस्सा तय करवा सकता है। उपरोक्त अनवान मुकदमे में जो रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 का वाद उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ में विचाराधीन है, इस कारण दोनों कार्यवाही एक साथ नहीं चल सकती। इस प्रकरण से संबंधित मुख्य अपील श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर के न्यायालय में भी की गई है। जिसकी आगामी तारीख पेशी 17.01.2018 मुर्करर है। जब तक मुख्य आदेश का कोई निर्णय नहीं होता तब तक म्युटेशन की अपील के आदेश का कोई महत्व नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होना बताया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 के योग्य अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान आर.आर.डी. 1998 पृष्ठ संख्या 639, ए.आई.आर. एस.सी. पृष्ठ संख्या 2276 व 1997 डी.एन.जे. (राज) पृष्ठ संख्या संख्या 87 में हुए निर्णय के अनुसार अपील को मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त करने का निवेदन किया।

आदेश

हमनें उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवम पत्रावली का भी अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामान्तकरण संख्या 743 जो ग्राम सेतरावा का तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में यह अंकित किया है कि ''आदेश प्रभारी अधिकारी, राजस्व अभियान के आदेश दिनांक 02.02.1983 के आदेश की अनुपालना में स्वीकृत किया गया है।'' अपीलार्थी ने अपनी अपील के जरिये ग्राम सेतरावा के नामान्तकरण संख्या 743 जो दिनांक 03.02.1983 को चुनौती दी गई है। तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा उक्त नामान्तकरण प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान के आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है। जब तक प्रभारी अधिकारी राजस्व अभियान के आदेश दिनांक 02.02.1983 का निरस्त नहीं कर दिया जाता जब तक उक्त नामान्तकरण को भी खारिज नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड मय निर्णय की प्रति के साथ पुनः लौटाया जावे।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर